

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-33 / लै.टै. / एफ-1570 / 2021 /

दिनांक :

आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 11(7) एफ.डी./नियम/2008/दिनांक 12.09.08, एफ. 14 (88) वित्त (नियम) /2008-1 दिनांक 31.12.2009 एवं एफ. 15 (1) एफ.डी./ रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित कार्मिक जिन्होंने 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी/पे-मैट्रिक्स लेवल में एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	प्रथम नियुक्ति तिथि / कार्यग्रहण तिथि	दिनांक व पूर्ण सेवावधि	देय ग्रेड-पे/ पे मैट्रिक्स लेवल
1.	श्री गोपाल देवतवाल, लैब टैक्नीशियन	संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर	11.02.2011	11.02.2020 9 वर्ष	लेवल-9
2.	श्री सीताराम बलाई, लैब टैक्नीशियन	पं० दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, गणगौरी बाजार, जयपुर	03.03.2011	03.03.2020 9 वर्ष	लेवल-9
3.	श्री सीताराम मीणा, लैब टैक्नीशियन	सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	25.02.2011	25.02.2020 9 वर्ष	लेवल-9
4.	श्री कैलाश चन्द सांखला, लैब टैक्नीशियन	जवाहर लाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं सामूहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर	15.02.2011	15.02.2020 9 वर्ष	लेवल-9

नोट:-उक्त कर्मिकों में से यदि किसी कार्मिक के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात तीसरी सन्तान हुई है, तो यह आदेश उन पर लागू नहीं होगे।

उपरोक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

(मुकुल शर्मा)

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

दिनांक 11/04/2021

क्रमांक :- ई-33 / लै.टै. / एफ-1570 / 2021 / 295

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित प्रशासनिक अधिकारी।
2. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
3. संबंधित कार्मिक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर